11.02.2025:–पत्रावली आज पत्रावली पेशी मे भी गई प्रार्थी/प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रार्थी ने अपना मुल वादपत्र अदम हाजरी खारिज हो गया। मूल वाद पत्र अदम हाजरी खारिज होने के कारण प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र अदम हाजरी खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–पत्र मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.04.2022 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:21:26 IST
Reason: SelfAttested